रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 1986/श्रावण 29, 1908
No. 379] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1986/SRAVANA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

अधिसूचना

सं. 336/86-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा. का. नि. 1014(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 146/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के शीर्ष सं. 72.15 और 73.09 के अन्तर्गत आने वाले माल को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पादशुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब उक्त माल ऐसे पोतों, नौकाओं और अन्य प्लवी संरचनाओं को तोड़कर अभिप्राप्त किया गया है—

(i) जिन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क 1400 रुपए प्रति लाइट विस्थापन टन भार की दर पर संदत्त कर दिया गया है, या

(ii) जिनका आयात 28 फरवरी, 1986 को या उससे पूर्व किया गया है और जिन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय उपयुक्त अतिरिक्त शुल्क संदत्त कर दिया गया है ।

[फ. सं. 139/60/84-सी एक्स-4(पी टी)]
एस. सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th August, 1986

NOTIFICATION

No. 386|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1014 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 146|86-Central Excises, dated the 1st March, 1986, the Central Government hereby exempts the goods, falling under heading Nos. 72.15 and 73.09 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule :

Provided that the said goods have been obtained from breaking of ships, boats and other floating structures—

(i) on which duty of customs leviable thereon under the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has been paid at the rate of Rs. 1400|- per Light Displacement Tonnage, or

(ii) imported on or before the 28th day of February, 1986, and on which appropriate additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has been paid.

[F. No. 139|60|84-CX.4]
S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986